[2021] 9 एस. सी. आर. 189

ट्रायम्बैक एस. हेगडे

वी.

एसआरआईपीएडी

(आपराधिक अपील सं। 849-850 2011 का)

23 सितंबर, 2021

[एन. वी. रमना, सीजेआई, सूर्या कान्ट और ए. एस. बोपन्ना, जे. जे.]

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881-ss. 118 और 139-अपीलार्थी का मामला यह था कि प्रत्यर्थी ने अपना घर बेचने के लिए उससे संपर्क किया-जिसके अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा रुपये की कुल सहमत कीमत में से रुपये की अग्रिम राशि प्राप्त करते हुए एक समझौते का निष्पादन किया गया था।

इसके बाद, अपीलार्थी ने पाया कि घर प्रत्यर्थी के पिता के नाम पर था और प्रत्यर्थी को उसी अपीलार्थी को बेचने का कोई अधिकार नहीं था, जिसने रुपये वापस करने की मांग की थी।

अपीलार्थी ने चेक के अपमान की सूचना देते हुए प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया, जिसका जवाब नहीं दिया गया-अपीलार्थी ने शिकायत दर्ज की और प्रत्यर्थी के खिलाफ यू/एस अभियोजन की मांग की। 138 एन. आई. अधिनियम के न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी (जे. एम. एफ. सी.) ने प्रतिवादी को दोषी ठहराया और उसे 6 महीने के लिए साधारण कारावास और 5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। 2,00,000 / - - सत्र न्यायाधीश के समक्ष दायर अपीलों को खारिज कर दिया गया-उच्च न्यायालय के समक्ष, प्रतिवादी ने तर्क दिया कि अपीलार्थी का एक रिश्तेदार उसके वकील के कार्यालय में कनिष्ठ था और इस तरह के प्रमुख पद के कारण, प्रतिवादी

समझौते और चेक पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया था, हालांकि पैसे का भुगतान नहीं किया गया था-इस तर्क के आधार पर कार्यवाही करते हुए, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी की दोषसिद्धि को दरकिनार कर दिया-अपील पर कहा गयाः समझौते पर हस्ताक्षर के बाद से और विशेष रूप से असम्मानित चेक विवादित नहीं था, जैसा कि कानून यू/एस. एस. में प्रदान किया गया है। 118 और एन. आई. अधिनियम की धारा 139 इस प्रकार उत्पन्न हुई थी

अनुमान तब तक बना रहेगा जब तक कि इसका खंडन नहीं किया जाता-प्रत्यर्थी का यह तर्क कि अपीलार्थी का एक रिश्तेदार उसके अधिवक्ता का कनिष्ठ था और उसने अपने प्रमुख पद का उपयोग उसे सुरक्षित करने के लिए किया है।

यदि पक्षकारों के बीच कोई लेन-देन नहीं हुआ था, तो चेक पर हस्ताक्षर करने का कोई स्पष्टीकरण नहीं है, जो यह इंगित करता है कि प्रतिवादी के हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए उसके लिए ऐसी आवश्यकता क्यों पैदा हुई-इसके अलावा, उक्त कहानी रखी गई थी।

उच्च न्यायालय के समक्ष पहली बार प्रस्तुत किया गया-प्रत्यर्थी ने चेक के अपमान की सूचना देने वाले नोटिस का जवाब नहीं दिया था और इस तरह का तर्क रखा था-यह न तो जे. एम. एफ. सी. के समक्ष उठाया गया था और न ही पहले। सत्र न्यायाधीश-इसके अलावा, इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि ऐसे अधिवक्ता को प्रतिवादी द्वारा अपना बचाव करने के लिए क्यों लगाया गया था, जिसके कनिष्ठ ने अपने हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए अपने प्रमुख पद का उपयोग किया था।

चेक के अपमान से संबंधित वही मामला-इसके अलावा, यह समझना मुश्किल है कि रुपये की पूरी राशि से कम राशि का चेक क्यों सुरक्षित किया गया था, अगर कनिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रमुख पद का उपयोग किया गया था-इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी द्वारा रखा गया मामला खंडन की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है, भले ही संभावना की अधिकता की कसौटी पर परीक्षण किया जाए-उच्च न्यायालय अपने निष्कर्ष में उचित नहीं था-जे. एम. एफ. सी. द्वारा दोषसिद्धि के आदेश की पुष्टि की जाती है-हालांकि, सजा को संशोधित किया जाता है, प्रतिवादी को केवल रुपये का जुर्माना देने की सजा सुनाई जाती है।

आंशिक रूप से अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

प्रदर्शनी पी-6 और पी-2 में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर विवादित नहीं है। प्रदर्शनी पी-2 एक असम्मानित चेक है जिसके आधार पर शिकायत दर्ज कराई गई। के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य से

जे. एम. एफ. सी., यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी ने चेक पर हस्ताक्षर पर विवाद नहीं किया है। यदि वह स्थिति है, जैसा कि अदालतों द्वारा नीचे उल्लिखित किया गया है, तो एक अनुमान धारा 139 के तहत अपीलार्थी के पक्ष में उत्पन्न होगा जो चेक का धारक था। जहां तक प्रत्यर्थी द्वारा चेक पर हस्ताक्षर किए जाने के संदर्भ में अपीलार्थी द्वारा राशि का भुगतान है, तो एन. आई. अधिनियम की धारा 118 (ए) के तहत विचार को पारित करने का अनुमान लगाया जाएगा। उक्त प्रावधान इस प्रभाव के लिए स्पष्ट हैं कि ऐसी धारणा तब तक बनी रहेगी, जब तक कि इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता। [पारस 11,12 और 13] [97-डी-जी; 198-ए]

2. तत्काल तथ्यों में, सामने रखा गया मामला यह था कि उन पक्षों के बीच एक लेन-देन हुआ था जहां प्रत्यर्थी के पास TRIYAMBAK S. HEGDE v था।

वह घर बेचने के लिए सहमत हो गया जिसके लिए रुपये की अग्रिम राशि थी। 3,50,000 / - (केवल तीन लाख पचास हजार रुपये) का भुगतान किया गया था। प्रतिवादी द्वारा जारी किया गया चेक आंशिक पुनर्भुगतान के लिए था। अग्रिम राशि की जब से अपीलार्थी ने महसूस किया कि प्रत्यर्थी के पास संपत्ति का उचित अधिकार नहीं है और लेन-देन को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। हस्ताक्षर करने के बाद से

समझौता (प्रदर्शनी पी-6) और विशेष रूप से असम्मानित चेक (प्रदर्शनी पी-2) विवादित नहीं था, कानून में प्रदान की गई धारणा उत्पन्न हुई थी। इस तरह की धारणा तब तक बनी रहेगी जब तक कि इसका खंडन नहीं किया जाता। हालाँकि सवाल यह है कि क्या, या तो अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से या विवाद की प्रकृति से

आगे यह एकत्र किया जा सकता है कि प्रत्यर्थी द्वारा अनुमान का खंडन किया गया था। जैसा कि उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया है, प्रत्यर्थी का तर्क था कि अपीलार्थी का रिश्तेदार उसके अधिवक्ता के कार्यालय में कनिष्ठ था, जो एक दीवानी मामले में प्रत्यर्थी का प्रतिनिधित्व करता था। उस प्रकाश में, यह आगे तर्क दिया गया कि इस तरह की प्रमुख स्थिति के कारण, प्रतिवादी को समझौते और चेक पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया था, हालांकि पैसे का भुगतान नहीं किया गया था। उक्त कहानी का पहली बार उच्च न्यायालय के समक्ष आग्रह किया गया था। उस आशय का कोई सुझाव या स्वीकृति नहीं है जैसा कि प्रत्यर्थी के विद्वान वकील द्वारा तर्क दिया गया है। वास्तव में, पी. डब्ल्यू. 1 को उसकी प्रतिपरीक्षा में दिया गया सुझाव यह तर्क देने के लिए है कि अपीलार्थी का चचेरा भाई एक वकील था और क्या उसने समझौता करने से पहले उससे परामर्श किया था, जिस पर पी. डब्ल्यू. 1 ने जवाब दिया है कि उसे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। यह स्वीकार करना कि उसका चचेरा भाई एक वकील है, इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचता है

कि उन्होंने स्वीकार किया था कि वे एक प्रमुख स्थिति में थे। [पैरा 17] [200-डी-एच; 201-ए] 3. इसके अलावा, हालांकि प्रत्यर्थी ने यह तर्क दिया था कि अपीलार्थी का एक रिश्तेदार उसके वकील का कनिष्ठ था और उसने चेक पर हस्ताक्षर करने के लिए अपने प्रमुख पद का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है

यदि पक्षकारों के बीच कोई लेन-देन नहीं हुआ था, तो प्रत्यर्थी के हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए उसके लिए ऐसी आवश्यकता उत्पन्न होने के कारण को इंगित करने के लिए। इसके अलावा, जिस कहानी की जांच की जानी थी, उसे पहली बार उच्च न्यायालय के समक्ष रखा गया था। जैसा कि अभिलेखों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा जारी किए गए नोटिस में चेक [2021] 9 एस. सी. आर. के अपमान की सूचना दी गई है।

या इस संबंध में कोई गवाह। विद्वत सत्र न्यायाधीश के समक्ष दायर अपील में भी उक्त तर्क नहीं उठाया गया था। [पैरा 19] [201-ई-एच; 202-ए-बी] 4. इसके अलावा, जैसा कि कहानी को एक विचार के बाद सामने रखा गया है, प्रत्यक्ष रूप से अभिलेखों के विपरीत प्रतीत होता है, क्योंकि यह देखा जाता है कि विचाराधीन अधिवक्ता जिसका कनिष्ठ एक मामले में था।

प्रमुख पद वही विद्वान अधिवक्ता है जिसने इस मुकदमे में प्रतिवादी का बचाव किया था। यदि जो कहा जा रहा था वह सही तथ्य था, तो प्रत्यर्थी ने इसे उक्त अधिवक्ता के ध्यान में लाया होता और ऐसी स्थिति में उसी अधिवक्ता को नियुक्त नहीं किया होता, जिसके कनिष्ठ के खिलाफ उसे शिकायत थी और उसे अपमान चेक से संबंधित मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए संलग्न नहीं किया जाता, जो उसी विषय का था। इसके अलावा, यदि चेक ऐसी परिस्थिति में सुरक्षित किया गया था और स्वैच्छिक नहीं था, तो यह समझना मुश्किल है कि इसे रुपये (केवल एक लाख पचास हजार रुपये) के लिए क्यों निकाला गया होगा, जब अपीलकर्ता का मामला है कि भुगतान की गई अग्रिम राशि रुपये (केवल तीन लाख पचास हजार रुपये) थी और उसे भुगतान की गई पूरी अग्रिम राशि वापस लेनी थी। अगर ऐसी स्थिति होती तो पूरी राशि सुरक्षित रखना स्वाभाविक होता। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत मामला खंडन की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है, भले ही संभावना की प्रधानता की कसौटी पर परीक्षण किया जाए। इसलिए, वर्तमान तथ्यों में यह नहीं माना जा सकता है कि अपीलार्थी के पक्ष में जो धारणा उत्पन्न हुई थी, उसका उत्तरदाता ने सफलतापूर्वक खंडन किया था। इसलिए उच्च न्यायालय अपने निष्कर्ष में उचित नहीं था। [पैरा 20] [202-बी-एफ]

के. भास्करन बनाम शंकरन वैद्यन बालन और अन्र। (1999) 7 एससीसी 510: [1999] 3 पूरक। एस. सी. आर. 271-पर निर्भर। बासलिंगप्पा बनाम। मुदिबसप्पा (2019) 5 एस. सी. सी. 418: [2019]

6 एससीआर 555-विशिष्ट।

ट्रायम्बैक एस. हेगडे बनाम। एसआरआईपीएडी

के. चिन्नास्वामी रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश और अन्न राज्य। ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 1788 [1963] एस. सी. आर. 412; कौशल्या देवी मसंद बनाम। रूपकिशोर खोरे (2011) 4 एससीसी 593

: [2011] 3 एस. सी. आर. 879-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1999] 3 पूरक। एससीआर 271

उस पर भरोसा करें

पैरा 13

[2019] 6 एससीआर 555

प्रतिष्ठित

पैरा 14

[1963] एससीआर 412

संदर्भित किया गया है

पैरा 18

[2011] 3 एससीआर 879

संदर्भित किया गया है

पैरा 21

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

2011 का Nos.849-850।

उच्च न्यायालय के 01.12.2009 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2006 की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 1282 और 2006 की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 1481 में धारवाड़ की सर्किट बेंच।

राजेश इनामदार, जावेदुर रहमान, रउफ रहीम, अधिवक्ता। के लिए

अपीलार्थी।

जी. वी. चंद्रशेखर, एन. के. वर्मा, सुश्री अपेक्षा डी., सुश्री अंजना

चंद्रशेखर, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. एस. बोपन्ना, जे.

1. अपीलार्थी इस न्यायालय के समक्ष सामान्य आदेश का उल्लंघन कर रहा है।

कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 1481/2006 से जुड़ी आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 1282/2006 में दिनांक 01.12.2009। उक्त आदेश के माध्यम से विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादी द्वारा दायर आपराधिक संशोधन याचिका No.1282/2006 को अनुमति दी है। अपीलार्थी द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका No.1481/2006 को खारिज कर दिया गया है। नतीजतन, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आदेशित और विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा पुष्टि किए गए प्रतिवादी की दोषसिद्धि को दरकिनार कर दिया जाता है।

2. अपीलार्थी का मामला यह है कि प्रत्यर्थी जो ज्ञात था

पिछले कुछ वर्षों से उसने अपीलार्थी से संपर्क किया और बताया कि अपनी वित्तीय कठिनाई के कारण वह सिरसी शहर में स्थित घर को बेचने का इरादा रखता है। अपीलार्थी रुपये 4,00,000/- (केवल चार लाख रुपये) के बातचीत किए गए कुल बिक्री विचार के लिए इसे खरीदने के लिए सहमत हो गया।

केवल हजार) राशि का हिस्सा होना। अपीलार्थी ने 20.05.1998 पर वसूली के लिए चेक प्रस्तुत किया जब यह 'अपर्याप्त धन' के समर्थन के साथ अपमानित होने की बात आई। 3. इसलिए अपीलार्थी को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें प्रत्यर्थी को चेक के अपमान के बारे में सूचित किया गया और चेक राशि के भुगतान की भी मांग की गई। उत्तरदाता, हालांकि प्राप्त किया

नोटिस, उसी का जवाब देने में विफल रहा। उस दृष्टिकोण से, अपीलार्थी ने सिरसी में न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी (संक्षेप में 'जे. एम. एफ. सी.') के न्यायालय में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 200 (संक्षेप में 'सी. आर. पी. सी.') के तहत 14.07.1998 पर शिकायत दर्ज की, जिसे आपराधिक मामले No.790/2000 के रूप में दर्ज किया गया था। उक्त शिकायत के माध्यम से अपीलार्थी ने परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (संक्षेप में 'एन. आई. अधिनियम') की धारा 138 के तहत प्रत्यर्थी पर मुकदमा चलाने की मांग की। अवसर प्रदान करने के बाद विद्वान जे. एम. एफ. सी.

दोनों पक्षों को एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दिनांकित 09.06.2005 निर्णय के माध्यम से प्रतिवादी को दोषी ठहराया गया; प्रतिवादी को छह महीने के लिए साधारण कारावास और रुपये का जुर्माना देने की सजा सुनाई गई। 2,00,000 / - (केवल दो लाख रुपये)। जुर्माने की राशि का भुगतान न करने पर अभियुक्त को आदेश दिया गया कि

आगे तीन महीने की अवधि के लिए साधारण कारावास की सजा काटें। बाहर।

जुर्माने की राशि में से रु। 1,95,000 / - (एक लाख नब्बे-केवल पाँच हजार रुपये) मुआवजे के रूप में अपीलार्थी को देने का आदेश दिया गया था।

4. जे. एम. एफ. सी. द्वारा पारित दिनांक 09.06.2005 के उक्त निर्णय से व्यथित होने का दावा करने वाले प्रतिवादी ने आपराधिक अपील No.57/2005 में जिला और सत्र न्यायाधीश, उत्तर कन्नड़, कारवार के समक्ष अपील दायर की। अपीलार्थी ने यहाँ जिला और सत्र न्यायाधीश के समक्ष आपराधिक अपील No.65/2005 में एक अपील भी दायर की जिसमें मांग की गई कि विद्वान जे. एम. एफ. सी. द्वारा प्रतिवादी पर लगाई गई सजा को लागू किया जाए।

रुपये के मुआवजे के रूप में बढ़ाया गया। 1,95,000 / - (अपीलार्थी को भुगतान करने का आदेश दिया गया केवल एक लाख निन्यानबे हजार रुपये) अपर्याप्त है।

ट्रायम्बैक एस. हेगडे बनाम। श्रीपद [ए. एस. बोपन्ना, जे.]

विद्वान सत्र न्यायाधीश ने मामले की फिर से जांच की और साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने पर दोनों अपीलों को अलग-अलग निर्णयों के माध्यम से खारिज कर दिया। एतऽ प्रतिवादी, ओहि दृष्टिकोणसँ, आपराधिक पुनरीक्षण याचिका सं. 1282/2006 मे पुनरीक्षण याचिका दायर कयलक आ एतऽ अपीलार्थी उच्च न्यायालयक समक्ष सम्बन्धित पुनरीक्षण याचिका No.1481/2006 दायर कयलक। विद्वान एकल न्यायाधीश ने, जैसा कि उल्लेख किया गया है, प्रत्यर्थी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को अनुमति दी है और विद्वान जे. एम. एफ. सी. द्वारा पारित दोषसिद्धि आदेश को दरकिनार कर दिया है, जो

विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा पुष्टि की गई। इसी पृष्ठभूमि में ये अपीलें विचार के लिए उठाई गई हैं। 5. हमने श्री राजेश इनामदार, अपीलार्थी के विद्वान वकील, श्री जी. वी. चंद्रशेखर, प्रतिवादी के विद्वान वकील को सुना है।

और अपील पत्रों का अवलोकन किया।

6. विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष, अपीलार्थी ने खुद को पीडब्लू1 के रूप में जांच की थी और प्रदर्शनी पी1 से पी6 में दस्तावेजों को चिह्नित किया था। पी. डब्ल्यू. 1 के रूप में अपीलार्थी के बयान से संकेत मिलता है कि अपीलार्थी और प्रत्यर्थी विचाराधीन लेन-देन से पहले लगभग 7 से 8 वर्षों से एक-दूसरे को जानते थे। उस दृष्टिकोण से, वर्ष 1996 में प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी से संपर्क किया, अपनी वित्तीय कठिनाइयों के बारे में बताया और कहा कि

उसकी वित्तीय आवश्यकता, सिरसी में स्थित संपत्ति को बेचने की पेशकश की। इस आधार पर कीमत को रुपये में अंतिम रूप दिया गया था। 4,00,000 / - (केवल चार लाख रुपये) और 06.06.1996 (प्रदर्शनी पी-6) दिनांकित समझौते को निष्पादित करने पर, रु। 3,50,000 / - (केवल तीन लाख पचास हजार रुपये) का भुगतान किया गया था। रुपये की शेष राशि। 50,000 / - (पंजीकरण के समय केवल पचास हजार रुपये) का भुगतान किया जाना था और लेनदेन छह महीने के भीतर पूरा किया जाना था। यह आरोप लगाया जाता है कि प्रत्यर्थी किसी न किसी बहाने से पंजीकरण को स्थगित करता रहा। इसलिए, एक पूछताछ पर अपीलार्थी को पता चला कि संपत्ति वास्तव में प्रत्यर्थी के पिता के नाम पर थी और प्रत्यर्थी पूर्ण मालिक नहीं था। चूंकि प्रत्यर्थी बेचने के लिए अधिकृत नहीं था, इसलिए अपीलार्थी समझौते को रद्द करने के लिए आगे बढ़ा और अग्रिम राशि का भुगतान करने की मांग की। उस दृष्टिकोण से, उत्तरदाता द्वारा रुपये की राशि के लिए दिनांकित 17.05.1998 (प्रदर्शनी पी-2) का चेक निकाला गया था। 1,50,000 / - (केवल एक लाख पचास हजार रुपये) जो अग्रिम राशि का हिस्सा था।

उसके द्वारा भुगतान की गई राशि। हालाँकि प्रस्तुत किए जाने पर चेक था अपमानित किया। बैंक द्वारा जारी ज्ञापन को प्रदर्शनी पी-3 के रूप में चिह्नित किया गया था। अपीलार्थी द्वारा जारी सूचना और डाक रसीद को इस प्रकार चिह्नित किया गया था

पी-4 और पी-5 प्रदर्शित करता है। प्रत्यर्थी ने कोई खंडन [2021] 9 एस. सी. आर. देने का विकल्प नहीं चुना।

जे. एम. एफ. सी. की अदालत में साक्ष्य, हालांकि उन्होंने दोषारोपण पर विवाद किया सी. आर. पी. सी. की धारा 313 के तहत बयान दर्ज करते समय उनके सामने रखी गई परिस्थितियाँ।

7. उस पृष्ठभूमि में, विद्वान जे. एम. एफ. सी. ने यह ध्यान में रखते हुए कि प्रदर्शनी पी-6 दिनांकित समझौते पर हस्ताक्षर, विशेष रूप से प्रदर्शनी पी-2 में चेक को स्वीकार किए जाने पर, एन. आई. अधिनियम की धारा 118 और 139 के तहत अनुमान लगाया, जिसका खंडन नहीं किया गया था। इसलिए, विद्वान जे. एम. एफ. सी. ने प्रतिवादी को दोषी ठहराया। जैसा कि उल्लेख किया गया है, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने साक्ष्य की पुनः सराहना करने पर दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की थी। तथापि प्रत्यर्थी ने पुनरीक्षण याचिका में केवल तर्क के समय यह तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी

राशि का भुगतान नहीं किया लेकिन विशिष्ट परिस्थितियों में चेक (प्रदर्शनी पी-2) और समझौते (पी-6) पर उनके हस्ताक्षर सुरक्षित कर लिए गए थे। उनकी ओर से यह तर्क दिया गया कि वह दीवानी न्यायाधीश, सिरसी के न्यायालय में एक मामले में एक पक्षकार थे, जिसमें उन्होंने श्री रामा जोशी नाम के एक वकील की सेवाएं ली थीं। यह उनका आगे का मामला था कि श्री विश्वनाथ हेगड़े, जो श्री रामा जोशी के कनिष्ठ हैं, इसमें अपीलार्थी का रिश्तेदार। इस प्रकार एक प्रमुख स्थिति में होने के कारण उन्होंने हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए थे।

यह अभिनिर्धारित करने के लिए आगे बढ़े कि अपीलार्थी ने भार का निर्वहन नहीं किया था यह साबित करना कि उसने रुपये का भुगतान किया था। 3,50,000 / - (केवल तीन लाख पचास हजार रुपये) प्रत्यर्थी को और यह कि चेक उसी के एक हिस्से के भुगतान के लिए जारी किया गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश भी थे

राय है कि प्रदर्शनी पी-6 में समझौते पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता है।

9. अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वकील श्री राजेश इनामदार ने तर्क दिया है कि दस्तावेजों पर हस्ताक्षर

प्रदर्शनी पी-6 प्रदर्शित करें और प्रदर्शनी पी-2 में चेक प्रत्यर्थी द्वारा विवादित नहीं है। उस दृष्टिकोण में, यह तर्क दिया जाता है कि विद्वान जे. एम. एफ. सी. प्रत्यर्थी के खिलाफ एक अनुमान लगाने और उसे दोषी ठहराने में उचित था क्योंकि कोई खंडन साक्ष्य या विपरीत सामग्री नहीं थी। यह तर्क दिया जाता है कि प्रदर्शनी पी-6 के दस्तावेज़ पर यह इंगित करने के लिए भरोसा किया गया था कि उन पक्षों के बीच एक लेनदेन किया गया था जिसके लिए भुगतान किया गया था, लेकिन जिस तरह से उच्च न्यायालय ने उक्त दस्तावेज़ को स्वीकार किया है, वह एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही में आवश्यकता के दायरे से बाहर है। उस परिस्थिति में, यह तर्क दिया जाता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने एक स्पर्शरेखा TRIYAMBAK S. HEGDE v पर कार्यवाही की है।

श्रीपद [ए. एस. बोपन्ना, जे.]

और नीचे दिए गए न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों को दरकिनार कर दिया है, हालांकि एक संशोधन याचिका में सीमित गुंजाइश उपलब्ध थी।

10. प्रत्यर्थी के विद्वान वकील श्री जी. वी. चंद्रशेखर ने कहा कि निचली अदालत और निचली अपीलीय अदालत ने ऐसा नहीं किया है।

मामले की सही परिप्रेक्ष्य में जांच की गई। इसके बजाय, केवल इसलिए कि चेक पर हस्ताक्षर स्वीकार किए गए थे, अदालतें एक अनुमान लगाते हुए निष्कर्ष पर पहुंचीं, हालांकि यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं था कि अपीलार्थी के पास धन था और वही वास्तव में उसके द्वारा प्रतिवादी को कानूनी रूप से गठित करने के लिए भुगतान किया गया था।

वसूली योग्य ऋण। यह तर्क दिया जाता है कि उच्च न्यायालय ने उस परिस्थिति के संबंध में जांच करने और निष्कर्ष निकालने में न्यायसंगत था जिसके तहत चेक पर हस्ताक्षर किए गए थे और उस आलोक में, दोषसिद्धि को रद्द कर दिया था। इसलिए आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, यह उनका तर्क है।

11. इस मामले में उत्पन्न होने वाले तथ्यों और प्रतिद्वंद्वी विवादों की प्रकृति से, रिकॉर्ड से पता चलेगा कि प्रदर्शनी पी-6 और पी-2 में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर विवादित नहीं है। प्रदर्शनी पी-2 वह असम्मानित चेक है जिसके आधार पर शिकायत दर्ज की गई थी। सबूतों से जे. एम. एफ. सी. के समक्ष प्रस्तुत किया गया, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी ने विवाद नहीं किया है

चेक पर हस्ताक्षर। यदि वह स्थिति है, जैसा कि अदालतों द्वारा नीचे उल्लिखित किया गया है, तो एक अनुमान धारा 139 के तहत अपीलार्थी के पक्ष में उत्पन्न होगा जो चेक का धारक था। एन. आई. अधिनियम की धारा 139 इस प्रकार हैः -

" 139. धारक के पक्ष में अनुमान-यह माना जाएगा, जब तक कि इसके विपरीत यह साबित नहीं हो जाता है कि चेक के धारक को निर्वहन के लिए धारा 138 में निर्दिष्ट प्रकृति का चेक प्राप्त हुआ है,

किसी भी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्ण या आंशिक रूप से।

12. जहां तक चेक पर प्रत्यर्थी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के संदर्भ में अपीलार्थी द्वारा राशि का भुगतान है,

विचार को पारित करने के लिए अनुमान एन. आई. अधिनियम की धारा 118 (ए) के तहत उपबंधित के रूप में उत्पन्न होगा जो इसके तहत हैः -

" 118. परक्राम्य उपकरणों के बारे में अनुमान-जब तक इसके विपरीत, निम्नलिखित अनुमान लगाए जाएंगेः

(क) विचार का-कि प्रत्येक परक्राम्य लिखत को विचार के लिए बनाया या तैयार किया गया था, और यह कि ऐसा प्रत्येक लिखत, जब इसे स्वीकार किया गया हो, स्वीकार किया गया हो, बातचीत की गई हो या स्थानांतरित किया गया हो, स्वीकार किया गया हो, स्वीकार किया गया हो, बातचीत की गई हो या इसके लिए स्थानांतरित किया गया हो।

"[2021] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

13. उपरोक्त उल्लिखित प्रावधान इस प्रभाव के लिए स्पष्ट हैं कि ऐसा विकल्प तब तक बना रहेगा, जब तक कि इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता। उस संबंध में अपीलार्थी के लिए विद्वान ने के. भास्करन बनाम शंकरन वैद्यन बालन और अन्र में इसके निर्णय पर भरोसा किया है। (1999) सी 510 जिसमें इसे नीचे दिया गया हैः -

" 9. चूँकि चेक में हस्ताक्षर अभियुक्त के होने की बात स्वीकार की जाती है, इसलिए अधिनियम की धारा 118 में परिकल्पित धारणा यह हो सकती है कि

कानूनी रूप से यह अनुमान लगाया जाए कि चेक बनाया गया था या इसके लिए खींचा गया था

चेक की देय तिथि पर विचार करें। अधिनियम की धारा 139 अदालत को यह मानने का आदेश देती है कि चेक धारक ने इसे किसी भी ऋण या दायित्व के निर्वहन के लिए प्राप्त किया है। उपरोक्त अनुमान का खंडन करने का भार अभियुक्त पर था। विचारण न्यायालय को अनुमान का खंडन करने के लिए डी. डब्ल्यू.-1 की इच्छुक गवाही पर भरोसा करने के लिए राजी नहीं किया गया था। उक्त निष्कर्ष को उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा। अब यह अभियुक्त के लिए उस पहलू पर अलग तरह से बहस करने के लिए खुला नहीं है।

14. हालाँकि प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने संदर्भित किया है

ई बसलिंगप्पा बनाम मुदिबसप्पा में इस न्यायालय का निर्णय

) 5 एस. सी. सी. 418 जिसमें इसे इस प्रकार रखा गया हैः -

" 25. हम धारा 118 (ए) और 139 पर उपरोक्त मामलों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात को ध्यान में रखते हुए, अब हम इस न्यायालय द्वारा गिने गए सिद्धांतों को निम्नलिखित तरीके से संक्षेप में प्रस्तुत करते हैंः

25.1 . एक बार जब चेक के निष्पादन को स्वीकार कर लिया जाता है तो अधिनियम की धारा 139 एक धारणा को अनिवार्य करती है कि चेक के लिए था

किसी भी ऋण या अन्य दायित्व का निर्वहन। 25.2 . धारा 139 के तहत अनुमान एक खंडन योग्य है।

संभावित बचाव को बढ़ाने के लिए अनुमान और जिम्मेदारी अभियुक्त पर है। अनुमान का खंडन करने के लिए प्रमाण का मानक है संभावनाओं की प्रधानता।

25.3 . अनुमान का खंडन करने के लिए, अभियुक्त के लिए अपने नेतृत्व में साक्ष्य पर भरोसा करना खुला है या अभियुक्त संभावित बचाव करने के लिए शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत सामग्री पर भी भरोसा कर सकता है। संभावनाओं की प्रधानता का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है

केवल पार्टियों द्वारा रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री से, लेकिन

उन परिस्थितियों के संदर्भ में जिन पर वे भरोसा करते हैं।

ट्रायम्बैक एस. हेगडे बनाम। श्रीपद [ए. एस. बोपन्ना, जे.]

ऋण या देयता के निर्वहन में चेक जारी किया गया था। जिस सवाल पर गौर किया जाना है वह यह है कि क्या आरोपी द्वारा कोई संभावित बचाव किया गया था। पीडब्लू1 की प्रतिपरीक्षा में, जब विशिष्ट प्रश्न रखा गया था कि ऋण के संबंध में चेक जारी किया गया था Rs.25,000 अभियुक्त द्वारा लिया गया, पीडब्लू1 ने कहा कि उसे याद नहीं है। पीडब्लू1 ने अपने साक्ष्य में स्वीकार किया कि वह 1997 में सेवानिवृत्त हुए थे, जिस तारीख को उन्हें 8 लाख रुपये का मौद्रिक लाभ मिला था, जिसे शिकायतकर्ता ने भुनाया था। साक्ष्य में यह भी लाया गया कि वर्ष 2010 में, शिकायतकर्ता ने एक बिक्री समझौता किया जिसके लिए उसने बिक्री पर विचार के लिए बलाना गौड़ा को रुपये की राशि का भुगतान किया। वर्ष 2010 में स्वीकार किए जा रहे रुपये 4,50,000 का भुगतान और आगे का भुगतान

1, 000 रुपये के ऋण की, जिसके संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा 2012 की शिकायत दर्ज की गई थी, जिसकी प्रति अतिरिक्त के रूप में भी दर्ज की गई थी। डी-2, शिकायतकर्ता पर अपनी वित्तीय क्षमता साबित करने का बोझ था। वर्ष 2010-2011 में, शिकायतकर्ता के अपने मामले के अनुसार, उसने Rs.18 लाख का भुगतान किया। उसकी प्रतिपरीक्षा के दौरान, जब रुपये का भुगतान करने की वित्तीय क्षमता। 6 आरोपी से पूछताछ की गई, कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला शिकायतकर्ता द्वारा दिया गया। इस प्रकार, अभिलेख पर साक्ष्य अभियुक्त की ओर से एक संभावित बचाव है, जिसने शिकायतकर्ता पर अपनी वित्तीय क्षमता साबित करने का बोझ डाल दिया और

अन्य तथ्य "।

15. इस संदर्भ में, यह तर्क दिया जाता है कि ई-अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई सामग्री और पी. डब्ल्यू.-1 द्वारा संपत्ति के ज्ञान की कमी से संबंधित उत्तर उनकी प्रतिपरीक्षा में यह संकेत देंगे कि -कार्रवाई संदिग्ध है और यह इंगित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया है कि एन. टी. का भुगतान किया गया था। ऐसी स्थिति में, प्रत्यर्थी के लिए खंडन साक्ष्य की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन सामने रखा गया मामला इस बात को मानने के लिए पर्याप्त होगा कि प्रत्यर्थी ने इस धारणा का सफलतापूर्वक खंडन किया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

16. कानून की स्थिति पर, एन. आई. अधिनियम की धारा 118 और 139 में निर्दिष्ट प्रावधानों के साथ-साथ इस न्यायालय द्वारा किए गए कानून के उच्चारण को भी दोहराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें कोई अस्पष्टता नहीं है। में, बसलिंगप्पा बनाम मुदिबसप्पा (सुप्रा) विद्वानों द्वारा भरोसा किया गया प्रत्यर्थी के वकील, हालांकि तथ्यों पर अंतिम निष्कर्ष अनुमान लगाने के खिलाफ था, तथ्य और परिस्थितियां पूरी तरह से अलग हैं क्योंकि पक्षकारों के बीच लेन-देन जैसा कि उक्त मामले में दावा किया गया है, उस मामले के तथ्यों के लिए विशिष्ट है जहां भुगतान किए जाने का दावा किया गया था, विभिन्न लेन-देनों और शामिल राशि की सीमा को ध्यान में रखते हुए न्यायालय का पक्ष नहीं लिया गया था। हालांकि, धारा 118 और 139 के तहत उत्पन्न होने वाली धारणा से संबंधित कानूनी स्थिति

हस्ताक्षर स्वीकार किए जाने पर एन. आई. अधिनियम को दोहराया गया है। इसलिए, खंडन है या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

17. तत्काल तथ्यों में, जैसा कि उल्लेख किया गया है, मामला यह था कि पक्षकारों के बीच एक लेन-देन हुआ था जहां प्रतिवादी सहमत हुआ था

उस घर को बेचने के लिए जिसके लिए रु. 3,50,000/(केवल तीन लाख पचास हजार रुपये) की अग्रिम राशि का भुगतान किया गया था। प्रत्यर्थी द्वारा जारी किया गया चेक अग्रिम राशि के आंशिक पुनर्भुगतान के लिए था क्योंकि अपीलार्थी ने महसूस किया कि प्रत्यर्थी के पास संपत्ति का उचित अधिकार नहीं है और लेनदेन को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। तब से समझौते पर हस्ताक्षर (प्रदर्शनी पी-6) और विशेष रूप से असम्मानित चेक (प्रदर्शनी पी-2) विवादित नहीं था, कानून में प्रदान की गई धारणा उत्पन्न हुई थी। इस तरह की धारणा तब तक बनी रहेगी जब तक कि

खंडन किया। हालाँकि सवाल यह है कि क्या अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री या सामने रखी गई दलीलों की प्रकृति से यह पता लगाया जा सकता है कि प्रत्यर्थी द्वारा इस धारणा का खंडन किया गया था। जैसा कि उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया है, प्रत्यर्थी का तर्क था कि अपीलार्थी का रिश्तेदार उनके अधिवक्ता श्री रामा जोशी के कार्यालय में कनिष्ठ था, जिन्होंने एक दीवानी मामले में प्रत्यर्थी का प्रतिनिधित्व किया था। उस प्रकाश में, यह आगे तर्क दिया गया कि इस तरह की प्रमुख स्थिति के कारण, प्रतिवादी समझौते और चेक पर हस्ताक्षर किए गए थे, हालांकि पैसे का भुगतान नहीं किया गया था। उक्त कहानी का पहली बार उच्च न्यायालय के समक्ष आग्रह किया गया था। उस आशय का कोई सुझाव या स्वीकृति नहीं है जैसा कि प्रत्यर्थी के विद्वान वकील द्वारा तर्क दिया गया है। वास्तव में,

पी. डब्ल्यू. 1 को उनकी प्रतिपरीक्षा में दिया गया सुझाव यह तर्क देने के लिए है कि

अपीलार्थी का चचेरा भाई एक अधिवक्ता था और इस बारे में कि क्या उसने समझौता करने से पहले उससे परामर्श किया था, जिस पर पीडब्लू1 ने जवाब दिया है कि उसे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। यह स्वीकार करना कि उनके ट्रायम्बैक एस. हेगडे बनाम।

श्रीपद [ए. एस. बोपन्ना, जे.]

चचेरा भाई एक वकील है जो इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचता है कि उसने स्वीकार किया था कि वह एक प्रमुख स्थिति में था।

18. हालाँकि, विद्वान एकल न्यायाधीश ने उक्त कहानी को स्वीकार करते हुए संपत्ति के विवरण से संबंधित समझौते (प्रदर्शनी पी 6) में कुछ विसंगतियों का उल्लेख किया है और अपीलार्थी ने संपत्ति का दौरा नहीं करने या इसकी जानकारी नहीं होने के संबंध में स्वीकार किया है।

संपत्ति का स्थान। हमारी राय में, इस तरह का विचार सामान्य नहीं था और मुकदमेबाजी की प्रकृति के दायरे से बाहर था। विद्वान द्वारा जिस तरह से परीक्षण किया गया है, समझौते की वैधता

एकल न्यायाधीश उत्पन्न हो सकता है यदि इसे एक मुद्दे के रूप में उठाया गया था और समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक मुकदमे में विचार के लिए उठाया गया था। के. चिन्नास्वामी रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्न में निर्णय। ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 1788, जिस पर प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने भरोसा किया था, वर्तमान तथ्यों में सहायक नहीं होगा। सबसे पहले, उक्त निर्णय में इस न्यायालय ने उपलब्ध सीमित शक्ति को व्यक्त किया है

पुनरीक्षण याचिका में उच्च न्यायालय में। अन्यथा भी, हमने उस तरीके को अस्वीकार कर दिया है जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश ने उन विवादों पर मामले की जांच करने के लिए आगे बढ़े हैं जो एक के रूप में नहीं उठाए गए थे

विचारण न्यायालय के समक्ष आधार। तत्काल मामले में, उक्त समझौते (प्रदर्शनी पी-6) पर केवल सीमित सीमा तक भरोसा किया गया था ताकि यह इंगित किया जा सके कि पक्षों के बीच एक लेनदेन था जिसके कारण चुकाई जाने वाली राशि अग्रिम कर दी गई थी। उस हद तक दस्तावेज़ साक्ष्य में साबित हो चुका था और इस तरह के साक्ष्य को प्रतिपरीक्षा में अस्वीकार नहीं किया गया था। 19. इसके अलावा, हालांकि प्रत्यर्थी ने यह तर्क दिया था कि अपीलार्थी का एक रिश्तेदार उसके अधिवक्ता का कनिष्ठ था और उसने चेक पर हस्ताक्षर करने के लिए अपने प्रमुख पद का उपयोग किया है, लेकिन यह इंगित करने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि किस कारण से प्रत्यर्थी के हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए ऐसी आवश्यकता उत्पन्न हुई, यदि पक्षों के बीच कोई लेनदेन नहीं हुआ था। इसके अलावा, जिस कहानी की जांच की जानी थी, उसे पहली बार उच्च न्यायालय के समक्ष रखा गया था। जैसा कि अभिलेखों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा जारी किए गए नोटिस में चेक के अपमान की सूचना दी गई है और भुगतान की मांग की गई है, हालांकि प्रतिवादी द्वारा प्राप्त किया गया है, लेकिन इसका जवाब नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में, यदि यह सच है तो इस तरह के विवाद को सामने रखने के लिए उपलब्ध पहले अवसर का लाभ नहीं उठाया गया। विद्वान जे. एम. एफ. सी. के समक्ष कार्यवाही में भी प्रतिवादी ने बयान में ऐसा स्पष्टीकरण नहीं दिया है।

सी. आर. पी. सी. की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया है और न ही प्रतिवादी ने [2021] 9 एस. सी. आर. के लिए चुना है।

इस संबंध में स्वयं या किसी गवाह से पूछताछ करें। विद्वत सत्र न्यायाधीश के समक्ष दायर अपील में भी उक्त तर्क नहीं उठाया गया था।

20. इसके अलावा, जैसा कि कहानी को एक विचार के बाद से अलग रखा गया है, विवाद के बाद से रिकॉर्ड के विपरीत प्रतीत होता है। प्रत्यर्थी की ओर से यह है कि श्री रामा जोशी के कार्यालय में कनिष्ठ अधिवक्ता की प्रमुख स्थिति का उपयोग हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए किया गया था जब प्रत्यर्थी ने पहले के दीवानी मामले में उक्त अधिवक्ताओं को नियुक्त किया था। वर्तमान मामले में कारण शीर्षक से, जे. एम. एफ. सी. के समक्ष आपराधिक मामले No.790/2000 में, यह देखा जाता है कि श्री रामा जोशी वही विद्वान अधिवक्ता हैं जिन्होंने इस मुकदमे में प्रतिवादी का बचाव किया था। यदि जो कहा जा रहा था वह सही तथ्य था, तो प्रत्यर्थी ने इसे उक्त अधिवक्ता के ध्यान में लाया होता और ऐसी स्थिति में उसी अधिवक्ता को नियुक्त नहीं किया होता, जिसके कनिष्ठ के खिलाफ उसे शिकायत थी और उसे अपमान चेक से संबंधित मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए संलग्न नहीं किया जाता, जो उसी विषय का था। इसके अलावा, यदि चेक ऐसी परिस्थिति में सुरक्षित किया गया था और स्वैच्छिक नहीं था, तो यह समझना मुश्किल है कि इसे रुपये में क्यों खींचा गया होगा।

(केवल एक लाख पचास हजार रुपये) केवल तभी जब अपीलार्थी का मामला हो कि भुगतान की गई अग्रिम राशि रु. 3,50,000/- (केवल तीन लाख पचास हजार रुपये) थी और उसे भुगतान की गई पूरी अग्रिम राशि वापस लेनी थी। अगर ऐसी स्थिति होती तो पूरी राशि सुरक्षित रखना स्वाभाविक होता। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत मामला खंडन की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है, भले ही संभावना की प्रधानता की कसौटी पर परीक्षण किया जाए। इसलिए,

वर्तमान तथ्यों में यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है कि अपीलार्थी के पक्ष में जो धारणा उत्पन्न हुई थी, उसका उत्तरदाता ने सफलतापूर्वक खंडन किया था। इसलिए उच्च न्यायालय अपने निष्कर्ष में उचित नहीं था।

21. उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद, लर्नड जे. एम. एफ. सी. के निर्णय को बहाल करना स्वाभाविक होगा। हालांकि इस संबंध में, हम दोषसिद्धि के आदेश की पुष्टि करें, हमने अपना विचार दिया है

इस स्तर पर अधिरोपित की जाने वाली उपयुक्त सजा से संबंधित विचार, जैसे कि; क्या इस समय प्रत्यर्थी को कैद करना आवश्यक है या सजा को जुर्माने के अधिरोपण तक सीमित करना आवश्यक है। जैसा कि उल्लेख किया गया है, विचाराधीन लेन-देन एक बाहरी वाणिज्यिक लेन-देन नहीं है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी का मामला ही था

कि प्रत्यर्थी वित्तीय संकट में था और ऐसी स्थिति में उसने अपना घर बेचने की पेशकश की थी जिसके लिए अग्रिम भुगतान किया गया था।

श्रीपद [ए. एस. बोपन्ना, जे.]

अपीलार्थी द्वारा। अग्रिम राशि के एक हिस्से के पुनर्भुगतान के लिए विषय चेक जारी किया गया है क्योंकि बिक्री लेनदेन को आगे नहीं बढ़ाया जा सका है। उस पृष्ठभूमि में, जिस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, वह यह है कि जिस तारीख को लेन-देन हुआ था, उससे ढाई दशक से अधिक समय बीत चुका है। इस अवधि के दौरान दलों की स्थिति में बहुत सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन होंगे। इसके अलावा, जैसा कि इस न्यायालय ने कौशल्या देवी मसंद बनाम रूपकिशोर मामले में कहा है।

खोरे (2011) 4 एस. सी. सी. 593, एन. आई. अधिनियम के तहत शिकायत की गंभीरता को भारतीय दंड संहिता, 1860 या अन्य आपराधिक अपराधों के प्रावधानों के तहत अपराध के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। उस दृष्टिकोण से, हमारी राय में, तत्काल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यदि बढ़ाया गया जुर्माना लगाया जाता है तो यह न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगा। केवल उस स्थिति में जब प्रतिवादी अभियुक्त जुर्माने का भुगतान करने के लिए इसका लाभ नहीं लेता है, बल्कि इसके बजाय चूक करता है, तो वह कारावास की सजा का आह्वान करेगा। इसलिए,

वाक्य में उचित संशोधन नीचे बताए गए तरीके से किया गया हैः

22. सभी वनाच्छादित कारणों के लिए, निम्नलिखित क्रम;

((i)

उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 01.12.2009 आदेश आपराधिक पुनरीक्षण याचिका सं. 1282/2006 और 1481/2006

अलग रखे जाते हैं।

((ख)

विद्वान द्वारा सी. सी. No.790/2000 में आदेशित दोषसिद्धि

जे. एम. एफ. सी. को बहाल किया गया है।

(iii) हालांकि छह महीने के लिए साधारण कारावास और रुपये का जुर्माना (केवल दो लाख रुपये) की सजा को संशोधित किया गया है। इसके बजाय प्रतिवादी/अभियुक्त को रुपये का जुर्माना देने की सजा सुनाई जाती है। 2,50,000 / - (केवल दो लाख पचास हजार रुपये) तीन महीने के भीतर। जुर्माने का भुगतान न करने पर प्रतिवादी/अभियुक्त को छह महीने के लिए साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

((iv) जुर्माने की राशि में से रु। 2,40,000 / - (केवल दो लाख चालीस हजार रुपये) का भुगतान अपीलार्थी को किया जाएगा।

मुआवजे के रूप में शिकायतकर्ता।

(v) अपील सं. 849-850/2011 को तदनुसार अनुमति दी गई है

भाग।

(vi) लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

अपीलों की आंशिक रूप से अनुमति है।

अंकित ज्ञान